परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज में प्राप्तियों का सार दिया गया है जिसके बाद कर-राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 42 प्रतिशत राज्यों को अंतरित किया जाएगा। सरकार ने 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों के हिस्से का क्षैतिज वितरण भी स्वीकार कर लिया है। बजट अनुमान 2017-18 के कर राजस्व और केंद्रीय करों व शुल्कों की निवल प्राप्तियों के राज्यवार वितरण को ब्यौरों के विवरण (अनुबंध -9) में यह दर्शाया गया है।

अनुबंधः

अनुबंध 1 में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां दर्शायी गई हैं। कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 2 में किया गया है। अनुबंध 3 में मिलान के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 4 ऋण स्थिति से संबंधित है तथा इसके निम्न उप भाग हैं - अनुबंध 4(i) - देनदारियों का विवरण, अनुबंध 4(ii)- परिसम्पत्तियों का विवरण, अनुबंध 4(iii)-गारंटियोंका विवरण और अनुबंध 4(iv) -परिसम्पत्ति रजिस्टर।

अनुबंध 5 में केन्द्र सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा है, जबकि अनुबंध 5क और 5ख में बाजार ऋणों का ब्यौरा है और अनुबंध 5ग में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष सरकारी प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 5घ से अनुबंध 5ट में लोक लेखा से निर्गमित बाजार ऋणों के संबंध में पीओएलआईएफ के प्रतिभूतिकरण सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई सब्सिडी और विशेष बांडों के स्थान पर जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के ब्यौरों को दर्शाया गया है। अनुबंध 6क में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग दर्शाए गए हैं जबकि अनुबंध 6ख राष्ट्रीय लघु बचत निधि का एक वित्तीय विवरण है। अनुबंध 7 में वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारियों का ब्यौरा है।

अनुबंध 8 में विदेशी सहायता संबंधी विवरण है, जबकि अनुबंध 9, 9क और 9ख क्रमशः ब.अ. 2017-18, सं. अ. 2016-17 तथा 2015-16 के वास्तविक आंकड़े संघीय करों तथा प्रशुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यवार वितरण का ब्यौरा देते हैं। अनुबंध 10 में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर-राजस्वों का विवरण है और अनुबंध 11 कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि का विवरण है। अनुबंध 12 में 2017-18 के दौरान उन्मोचन के लिए बकाया बाजार ऋणों का ब्यौरा है अनुबंध 13 केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को दर्शाता हैः वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 ।